रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 210] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 1970/अग्रहायण 26, 1892

No. 210] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 1970/AGRAHAYANA 26, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 17th December 1970

G.S.R. 2046.—In execise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Mineral Products (Additional Duties of Excise and Customs) Act, 1958 (27 of 1958), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 199/66-Central Excises, dated the 16th December, 1966, namely:—

In the Table below the said notification, for Serial No. 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

1	2	3
"1.	Mottor Spirit, excluding Special Boiling Point Spirits.	Rs. 99.50 per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer".

[No. 183/70/-CE/F. No. 11/8/70-CX. 3.]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1970

सा० का० नि० 2046:—खनिज उत्पाद (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क) अधिनियम 1958 (1958 का 27) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 199/66 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 16 दिसम्बर, 1966 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे सारणी में क्रम संख्या 1 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3
1	मोटर स्पिरिट विशेष क्वथनांक स्पिरिटों को अपवर्जित करके।	सेंटीग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर 99.50 रुपये प्रति किलोलिटर"।

[सं० 183/70/सी० ई०/फा० सं० 11/8/70-सी०एफ० 3.]

पी० आर० कृष्णन, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970